

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 209/1991

1. मदन पुत्र रामनारायण मीणा, उम्र 20 वर्ष
2. शियोजी पुत्र छीतर मीणा, उम्र लगभग 24 वर्ष
3. प्रहलाद पुत्र दुला मीणा उम्र लगभग 30 वर्ष, सभी निवासी गांव जामनिया,
पुलिस थाना चाकसू, जिला जयपुर।

-----अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य.

-----उत्तरदाता

अपीलकर्ता (ओं) की ओर से	:	श्री रिनेश गुप्ताके साथ श्री सरवत आलम
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री मानवेंद्र सिंह, पीपी

जस्टिस अनूप कुमार ढंड

निर्णय

आरक्षित तिथि
घोषित तिथि
रिपोर्टयोग्य

15/01/2025

31/01/2025

1. इस अपील को दायर करके, सत्र न्यायाधीश, जयपुर जिला द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 92/1989 में पारित दिनांक 24.06.1991 के आक्षेपित निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाया गया है।
 2. इस निर्णय द्वारा, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास (संक्षेप में 'सश्रम कारावास') तथा 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, तथा जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अंतर्गत भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएँ साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है।
 3. अभियोजन पक्ष के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पीडब्लू-1 "एस" द्वारा पुलिस स्टेशन चाकसू, जिला जयपुर में दिनांक 23.05.1989 को एक लिखित रिपोर्ट (एक्स.पी1) दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह सो रही थी, तो उसका पति रामलाल शौच के लिए गया था और उसी समय तीन व्यक्ति आए और एक आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे आरोपी ने उसके हाथ और पैर पकड़ लिए और उसे दूसरे घर में ले गए, जहां उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया और एक आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके बाद, उन्होंने एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया।
-

4. इस रिपोर्ट पर, पुलिस थाना चाकसू में धारा 376(2), 379 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध क्रमांक 142/1989 दर्ज किया गया। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप तय किए गए। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की माँग की।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में नौ गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद, अपीलकर्ताओं का स्पष्टीकरण धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दिनांक 24.06.1991 के आक्षेपित निर्णय के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

6. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपील दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोक्ता (पीडब्लू 1) "एस" तीनों अपीलकर्ताओं को नहीं जानती थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि अपराध घटित होने के बाद उसके देवर ने उसे उनके नाम बताए थे। वकील ने दलील दी कि जिरह में भी इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के 2-3 दिन पहले,

उसकी सास ने अभियुक्तों के नाम बताए थे और यह भी बताया था कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोक्ता की सास के पास अपीलकर्ताओं के नामों पर उससे चर्चा करने का कोई कारण या अवसर उपलब्ध नहीं था, क्योंकि तब तक कोई घटना घटित नहीं हुई थी। अधिवक्ता ने कहा कि रिकॉर्ड पर यह तथ्य उचित संदेह से परे स्थापित हो चुका है कि अभियोक्ता अपीलकर्ताओं को नहीं जानती थी, इसलिए इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं की पहचान परेड कराने के कानूनी दायित्व के तहत था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिए इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता अभियोक्ता के साथ कथित घटना में शामिल थे। अधिवक्ता ने कहा कि अभियोक्ता के गुप्तांगों पर कोई चोट नहीं आई है। अधिवक्ता ने कहा कि अगर तीन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया होता, तो निश्चित रूप से उसके गुप्तांगों पर कई चोटें आई होतीं, लेकिन उसके गुप्तांगों पर एक भी चोट नहीं आई है, इसलिए इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष विचारण अदालत के समक्ष सही बयान नहीं दे पाया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट (एक्स पी7) के अनुसार अभियोक्ता के योनि स्मीयर में मानव वीर्य पाया गया था, हालाँकि अभियोक्ता के साथ की गई विस्तृत जिरह में, उसने स्वीकार किया है कि कथित घटना से पहले, उसके पति ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियोक्ता के कपड़ों पर लगा मानव

वीर्य उसके पति का है, न कि अपीलकर्ताओं का। अधिवक्ता ने दलील दी कि हालाँकि अपीलकर्ताओं के कपड़ों की बरामदगी अभियोक्ता द्वारा साबित नहीं की गई है, क्योंकि एक गवाह पीडब्लू-6 (समदा राम) अपने बयान से मुकर गया है और दूसरे गवाह गोपी चंद से पूछताछ नहीं की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि कथित घटना की तारीख 23.05.1989 है और अभियोजन पक्ष के बयानों के अनुसार, वह 24.05.1989 की रात 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में रही, इसलिए, इन परिस्थितियों में, जांच एजेंसी द्वारा की गई तथाकथित जांच संदिग्ध प्रतीत होती है, क्योंकि अन्य दस्तावेजों को तैयार करने का कोई कारण या अवसर नहीं था जो अभियोजन मामले पर गंभीर संदेह पैदा करता है। अधिवक्ता ने कहा कि जब्त की गई वस्तुओं के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है क्योंकि 'मालखाना' प्रभारी को पेश नहीं किया गया था और रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं दिया गया है कि वस्तुओं को एफएसएल को कैसे भेजा गया था। अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस नियमों के नियम 6.40 के अनुसार, संबंधित पुलिस अधीक्षक को वस्तुओं को एफएसएल भेजना आवश्यक है, लेकिन यहां तत्काल मामले में, ऐसा सबूत गायब है। अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा अपीलकर्ताओं को बरी किया जाना चाहिए।

8. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी अभियोजक ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के

परिचित थे और इसीलिए उसने अपीलकर्ताओं के नाम लिए हैं, इसलिए उनकी पहचान परेड कराने का कोई कारण नहीं था। अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त मदन और शियोजी को चोटें आई हैं, जो उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप की पुष्टि करती हैं। अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है, इसीलिए उन्हें दोषी पाया गया है और तदनुसार, उन्हें विचारण अदालत द्वारा एक तर्कसंगत और स्पष्ट निर्णय पारित करके दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, जिसमें इस अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुना और उन पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

10. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा करने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है।

11. 2011 में दर्ज **कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य के मामले (7) एससीसी 130** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सच है कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वास पैदा करे और पूरी तरह से विश्वसनीय, बेदाग हो और 'उत्कृष्ट गुणवत्ता' का हो।

12. उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या केवल अभियोक्ता के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना सुरक्षित है? क्या अभियोक्ता का साक्ष्य विश्वास जगाता है और पूर्णतः विश्वसनीय, निष्कलंक और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत होता है?

13. प्रत्येक मुकदमा खोज की एक यात्रा है, जिसमें सत्य की खोज ही सत्य है। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सत्य का पता लगाए।

14. इसी उद्देश्य से, अब यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की संवीक्षा करेगा।

15. इस मामले में मुख्य गवाह पीडिता पीडब्लू-1 'एस' है और दस्तावेजी साक्ष्य एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी7) है, जिसके आधार पर ट्रायल जज ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

16. अभियोक्ता (पीडब्लू-1) 'एस' ने गवाह के कठघरे में बयान दिया है कि लगभग 14 महीने पहले, वह अपने पति 'आर' के साथ कमरे में सो रही थी। उसका पति शौच के लिए गया था। तीन व्यक्ति वहां पहुंचे और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे घर के पीछे गोदाम में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। उसका देवर, पीडब्लू-3 'बी' आया और शोर मचाया, फिर उसकी सास, पीडब्लू-2 'एन' मौके पर पहुंची और उसके बाद, आरोपी मौके से भाग गए।

17. अभियोक्ता अभियोक्ता-1 'एस' से जिरह की गई और जिरह में उसने स्वीकार किया कि जब उसके साथ बलात्कार हुआ, उस समय वह अभियुक्तों को नहीं जानती थी। उसके देवर ने आकर उसे अभियुक्तों के नाम बताए। उसकी जिरह का अंश उसके बयान के पृष्ठ संख्या 9 पर है और वह इस प्रकार है:

"..... यह बात सही है कि जिस वक्त तक मेरे साथ घटना वाली रात बुरा काम किया गया तब तक बुरा काम हो जाने तक मुझे खुद को यह मालूम नहीं था कि मेरे साथ बुरा काम करने वाले कौन हैं, मुझे तो मेरे जेठ ने आकर बताया कि मेरे साथ बुरा काम करने वाले प्रहलाद, मदन और श्योजी राम हैं।...."

18. इस साक्षी ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि उसकी सास ने घटना से दो-तीन दिन पहले उसे अपीलकर्ताओं के बारे में बताया था कि वे गुंडे और बदमाश हैं। लेकिन उस समय, अभियुक्त उनके सामने उपस्थित नहीं थे। उसके बयान के पृष्ठ संख्या 4 पर उसकी जिरह का अंश इस प्रकार है:

"मेरी सास ने मुझे मुलजिमान के बारे में तीनों मुलजिमान के बारे में घटना के दो-तीन रोज पहले बताया था कि ये लोग गांव के बदमाश गुण्डे हैं, जिस समय मुलजिमान का गुण्डा बदमाश होना मेरी सास ने बताया उस समय कोई भी मुलजिमान सामने नहीं था। ..."

इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त अपीलकर्ता घटना से पहले अभियोजन पक्ष को ज्ञात नहीं थे और घटना के समय भी वह उन्हें नहीं जानती थी। उसकी सास,

नारायणी ने उसे बताया कि ये तीनों व्यक्ति गुंडे और बदमाश हैं लेकिन वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे। फिर उसने कहा कि घटना के समय वह अभियुक्तों के नाम नहीं जानती थी, उसके देवर, पीडब्लू-3 "बी" ने घटना के बाद उसे उनके नाम बताए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अभियुक्त उसे घटना से पहले और घटना के समय ज्ञात नहीं थे। फिर भी अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की पहचान करने के लिए कि क्या उन्होंने उसके साथ बलात्कार का अपराध किया है, जांच एजेंसी द्वारा अभियोजन पक्ष के साथ अभियुक्त अपीलकर्ता की कोई पहचान परेड नहीं कराई गई।

19. इस साक्षी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि रात में अंधेरा था, इसलिए वह यह नहीं पहचान सकी कि अभियुक्त-अपीलकर्ता में से किसने उसके हाथ-पैर पकड़े थे। जबकि उसकी सास अभि.सा.-2 "एन" ने कहा है कि वह पूर्णिमा की रात थी (रात चांदनी थी)। इसलिए, इन साक्षियों को यह स्पष्ट नहीं है कि घटना के समय अंधेरा था या चांदनी।

20. अभि.सा.-3 "बी" ने दलील दी है कि अभियोक्ता "एस" का शोरगुल सुनने के बाद वह मौके पर गया और अपीलकर्ताओं को देखा। उसके पीछे गोपाल, नारायण, अर्जुन और दो-तीन महिलाएँ मौके पर पहुँचीं। लेकिन अभियोजन पक्ष ने न तो इन गवाहों (अभि.सा.-4 अर्जुन को छोड़कर) से पूछताछ की और न ही

उन्होंने मौके पर अभियुक्तों को पकड़ने का कोई प्रयास किया। इसलिए, इन व्यक्तियों या अभियुक्तों की मौके पर उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

21. अभियोक्ता-5 डॉ. नवरत्न सिंह ने 23.05.1989 को अभियोक्ता की जांच की और उसकी चोट रिपोर्ट (एक्स.पी-2) तैयार की और अभियोक्ता 'एस' के शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ चोटें पाईं और उसके साथ हाल ही में हुए संभोग के बारे में कोई राय नहीं दी और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त होने तक राय सुरक्षित रखी।

22. एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-7) से पता चलता है कि अभियोक्ता और अभियुक्त के कपड़ों पर मानव वीर्य पाया गया था। अब, इस न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियोक्ता के कपड़ों पर पाया गया मानव वीर्य अपीलकर्ताओं का है या उसके पति का?

23. अभियोक्ता पीडब्लू-1 'एस' ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि घटना होने से पहले उसके पति रामपाल ने उसके साथ संभोग किया था। पृष्ठ संख्या 7 पर उसके बयान का अंश इस प्रकार है:

"... जिस रोज यह घटना मेरे साथ घटित हुई उस रोज घटना के पहले मेरे पति रामपाल ने मेरे साथ सम्भोग किया था। मेरे पति रामपाल ने मेरे साथ जो घटना से पहले सम्भोग किया था, उसका पानी मेरे घाघरे के लगा था और खून भी मेरे घाघरे के लगा था..."

उसने स्वीकार किया है कि अपने पति के साथ संभोग के बाद, उसके कपड़ों पर पानी (वीर्य) और खून लगा था। इसलिए, अभियोजन पक्ष को यकीन नहीं है कि अभियोक्ता के कपड़ों पर पाया गया वीर्य उसके पति का है या अपीलकर्ताओं का। यहाँ तक कि एफएसएल रिपोर्ट भी इस संबंध में चुप है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट में वीर्य या रक्त का कोई समूह नहीं है।

24. अब, यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है?

25. अभियोक्ता अभियोक्ता-1 'एस' की जिरह से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपराध के समय अपीलकर्ता उसे ज्ञात नहीं थे। उसके देवर अभियोक्ता-3, "बी" ने उसे अभियुक्तों के नाम बताए थे। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसकी सास अभियोक्ता-2, "एन" ने घटना से 3-4 दिन पहले उसे अभियुक्तों के नाम बताए थे। इसका अर्थ यह है कि वह अपीलकर्ताओं और उनके नामों को नहीं जानती थी। अतः, ऐसी परिस्थितियों में, जाँच एजेंसी को अभियोक्ता के साथ अपीलकर्ताओं की पहचान परीक्षण करना था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत पहचान परेड कराने का उद्देश्य किसी अज्ञात व्यक्ति, जिसे गवाह ने देखा न हो, की पहचान करने की उसकी क्षमता के प्रश्न पर गवाह की सत्यता का परीक्षण करना है। यदि पहचान

परेड नहीं कराई जाती है, तो अभियुक्त की पहचान के संबंध में उसकी केवल गवाही पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा।

26. अभियोक्ता द्वारा अपनी सास (पीडब्लू-2) "एन" और देवर (पीडब्लू-3) "बी" द्वारा बताए गए नामों के आधार पर अभियुक्तों की पहचान करना निरर्थक है। अपीलकर्ताओं को अभियोक्ता के साथ घटी घटना से जोड़ने वाला कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ताओं की पहचान के संबंध में कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में, उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

27. अपीलकर्ता कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, जिनकी पहचान इस आधार पर की जा सके कि अभियोक्ता को उसकी सास और देवर ने उनके नाम बताए थे। जब पीड़िता को अपीलकर्ताओं के नामों की जानकारी ही नहीं थी, तो उसने अपने बयानों में उनके नाम कैसे बताए, इस मामले का ऐसा तथ्यात्मक पहलू अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।

28. बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय, न्यायालयों को मामले को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए, मामले की व्यापक संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए और गवाहों के साक्ष्य में छोटे-मोटे विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण प्रकृति के नहीं हैं।

29. हालाँकि, बलात्कार के मामले में भी, अभियोजन पक्ष पर हमेशा अपराध के प्रत्येक घटक को सकारात्मक रूप से सिद्ध करने का दायित्व होता है, जिसे वह सिद्ध करना चाहता है और यह दायित्व कभी नहीं बदलता। बचाव पक्ष का यह कर्तव्य नहीं है कि वह यह स्पष्ट करे कि बलात्कार के मामले में पीड़िता और अन्य गवाह ने अभियुक्त को कैसे और क्यों झूठा फंसाया। अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और वह बचाव पक्ष के मामले की कमजोरी का सहारा नहीं ले सकता। अभियुक्त के विरुद्ध संदेह चाहे कितना भी गहरा हो और न्यायालय का नैतिक विश्वास और दृढ़ विश्वास चाहे कितना भी दृढ़ हो, जब तक कि अभियुक्त का अपराध कानूनी साक्ष्य और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए, उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त की निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा होती है और अभियोजन पक्ष को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध करना होता है। अभियुक्त प्रत्येक उचित संदेह का लाभ पाने का हकदार है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तुकाराम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1979 एससी 185 और उदय बनाम कर्नाटक राज्य, एआईआर 2003 एससी 1639** के मामले में माना है;

30. अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होगा और वह बचाव पक्ष के मामले की कमजोरी का सहारा नहीं ले सकता। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उचित कानूनी साक्ष्य और सामग्री रिकॉर्ड में मौजूद होनी

चाहिए। अभियोक्ता की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, बशर्ते कि उसकी गवाही विश्वसनीय हो। हालाँकि, यदि न्यायालय के पास अभियोक्ता के बयान को उसके मूल रूप में स्वीकार न करने का कारण हो, तो वह पुष्टिकरण की अपेक्षा कर सकता है। यदि साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ा जाए और अभियोक्ता द्वारा प्रस्तुत कहानी असंभाव्य पाई जाए, तो अभियोक्ता का मामला खारिज किए जाने योग्य हो जाता है।

31. न्यायालय को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए और साक्ष्यों को समग्र रूप से, पूरे मामले की पृष्ठभूमि में, न कि अलग-थलग करके, देखना चाहिए। न्यायालय को यह निर्णय देना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त ने शिकायत के समय पीड़िता के साथ बलात्कार किया था।

32. इस मामले का निर्णय उपरोक्त स्थापित विधिक प्रस्तावों के आलोक में किया जाना अपेक्षित है। इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन किया है और उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचा है। किसी भी प्रकार से यह नहीं माना जा सकता कि अभियोक्ता घटना से पूर्व अपीलकर्ता को नहीं जानती थी। प्रस्तुत तथ्य और परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि यदि अभियोक्ता के साक्ष्य को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ उन परिस्थितियों की समग्रता में पढ़ा और विचार किया जाए, जिनके आधार पर अपराध कारित किया जाना अभिकथित है, तो इस न्यायालय का यह मत है कि उसका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न

नहीं करता है। अभियोजन पक्ष ने अपराध की वास्तविक उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया है। ऐसी तथ्यात्मक स्थिति में, अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार हो जाता है।

33. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत जिरह का उद्देश्य सत्य की खोज में दबे हुए तथ्य को उजागर करना और गवाह की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाना है। जिरह का वास्तविक उद्देश्य सत्य को उजागर करना है। यह कोई जुमलेबाज़ी का खेल या गवाह की प्रतिभा की परीक्षा नहीं है।

इस मामले में, बचाव पक्ष ने अपनी जिरह में अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता को यह कहकर झकझोर दिया है कि उसे अपराध से पहले और अपराध के समय अभियुक्तों के नाम और पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी। उसने अपीलकर्ताओं के नाम इसलिए लिए क्योंकि उसकी सास और देवर ने उसे उनके नाम बताए थे।

34. अभियोक्ता के बयानों का अध्ययन और विचार करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि अपराध के समय और उससे पहले अभियुक्तों को जानने के संबंध में उसकी गवाही में पर्याप्त विरोधाभास हैं। अतः, उसका कथन विश्वसनीय नहीं है।

35. इन तथ्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः, इस

न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्धि का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष न्यायिक समीक्षा में टिक नहीं पाता है, अतः यह निरस्त किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है।

36. अपीलकर्ताओं को उस अपराध से बरी किया जाता है जिसके लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराया गया था।

37. अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे धारा 483 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसरण में ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 1 लाख रुपये प्रत्येक के जमानत बांड और 50,000 रुपये प्रत्येक के दो जमानतदार प्रस्तुत करें और यह वचन दें कि यदि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर राज्य या पीड़ित/शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति की जाती है तो वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

38. आदेश जारी करने से पहले, यह न्यायालय यह मानता है कि जाँच एजेंसी ने अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं किया है। ऐसे अपराधों का पता न लगा पाने के कारण पुलिस के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न करने वाले जनमत को शांत करने के लिए, जाँच एजेंसी ने एक ऐसे व्यक्ति को आरोपित करके शर्मनाक स्थिति से बचने का प्रयास किया है जिसका कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्यों के आधार पर अपराध से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन एजेंसी वास्तविक अपराधियों को पकड़ने या उन पर मुकदमा चलाने में बुरी तरह

विफल रही है। यदि पुलिस ने अभियुक्तों की पहचान परेड कराई होती, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, राज्य की पुलिस जाँच एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उस पीड़ित से, जिसके साथ घटना घटी है, कथित अभियुक्त की पहचान परेड कराएं।

39. निर्णय की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, जयपुर और प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर को भेजी जाए ताकि राज्य के सभी पुलिस अनुसंधान अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित निर्देश, स्थायी आदेश या दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें, ताकि उन मामलों में, जहां आरोपी पीड़िता को ज्ञात नहीं है, पीड़िता के साथ आरोपी की पहचान परेड कराई जा सके।

(जस्टिस अनूप कुमार ढंड), जे

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
